न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–408 सन् 2001

अम्बरिस कुमार तिवारी व अन्य.....वादीगण

बनाम

अनिल कुमार तिवारी.....प्रतिवादी

दिनांक– 14.12.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख पक्षांतरित वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 16.07.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 16 शशि देवी का देहांत दिनांक 30.04.2021 को हो गया है। इनके उत्तराधिकारीगण पहले से इस वाद में पक्षकार बनाया जा चुका है। प्रतिवादी सं0 16 शशि देवी का नाम वादपत्र से कलमजद कर दिया जाए। इस वाद के प्रतिवादी सं0 15 पिल्लू तिवारी उर्फ पप्पू कुमार तिवारी का देहांत दिनांक 23.04.2021 को हो गया है। उनकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी हैं। उनके दो पुत्र 1. अभिषेक तिवारी 2. आशीष तिवारी उनके कानूनी वारिसान है। पिल्लू तिवारी का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके पुत्रों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। उन्हें प्रतिस्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 16 शशि देवी पक्षकार थे और प्रतिवादी सं0 15 पिल्लू तिवारी उर्फ पप्पू कुमार तिवारी पक्षकार थे। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 16 शशि देवी के उत्तराधिकारी पूर्व से ही इस वाद में पक्षकार बनाये गए है और प्रतिवादी सं0 15 पिल्लू तिवारी उर्फ पप्पू कुमार तिवारी के जायज वारिसान उनके दो पुत्र अभिषेक कुमारी तिवारी एवं आशिष कुमार तिवारी है। प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से समय सीमा के अंतर्गत और शपथ पत्र के द्वारा समर्थित है। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी सं0 15 एवं प्रतिवादी सं0 16 का नाम वादपत्र से कलमजद कर प्रतिवारी सं0 15 के जायज वारिसान उनके पुत्रों को प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 04.01.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।